संख्या- 62जेएल/22-3-2024-ई-1786162

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
बहराइच।

*कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3* लखनऊः दिनांकः 01 मार्च, 2024

विषय- जिला कारागार, बहराइच के सिद्धदोष बंदी बृजेश्वर सिंह उर्फ धीरू सिंह पुत्र श्री सुखदराज सिंह, निवासी ग्राम-सिसैया चूड़ामणि, थाना-हरदी, जनपद-बहराइच को पुत्री के विवाह हेतु स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) में वृद्धि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सी-4058/प्रोबे0/बंदी/पैरोल-वृद्धि/2023-24, दिनांक 29-02-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार, बहराइच के सिद्धदोष बंदी बृजेश्वर सिंह उर्फ धीरू सिंह पुत्र श्री सुखदराज सिंह, निवासी जनपद-बहराइच को शासनादेश संख्या-62जेएल/22-3-2024-ई-1786162, दिनांक 02-02-2024 द्वारा स्वीकृत पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) में इस शर्त के साथ दिनांक 15-03-2024 तक वृद्धि प्रदान की जाती है कि यदि पैरोल अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा चुनाव की तिथि घोषित की जाती है तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होती है तो आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने की तिथि से सिद्धदोष बंदी बृजेश्वर सिंह उर्फ धीरू सिंह का पैरोल स्वतः निरस्त माना जायेगा। पैरोल स्वीकृति सम्बन्धी उक्त शासनादेश दिनांक 02-02-2024 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, राज्यमंत्री (स्व0प्र0), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3- पुलिस अधीक्षक, बहराइच।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।